

भारतीय मानक ब्यूरो
(स्थापना विभाग)

मानक भवन
9, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110002

हमारा संदर्भ: स्था-1/06:01/01/2021

दिनांक : 01 जनवरी 2021

कार्यालय ज्ञापन

निम्नलिखित सहायक अनुभाग अधिकारियों को वेतन मेट्रिक्स में लेवल-7 में अनुभाग अधिकारी पद में नीचे दिये गए विवरण के अनुसार पदोन्नति हेतु चयनित किया गया है :

The following Assistant Section Officers have been selected for promotion to the post of Section Officer in the Level-7 in the Pay Matrix as per details given below :

क्र.सं. Sl.No.	कर्मचारी सं. Emp No.	नाम तथा पदनाम Name & Designation	वर्तमान तैनाती का स्थान Present place of posting	पदोन्नति पर तैनाती का नया स्थान New place of posting on promotion
1.	060240	श्रीमति निर्मल दत्त शर्मा Smt. Nirmal Datt Sharma	मुख्यालय-एचआरडी HQ-HRD Deptt.	मुख्यालय-एचआरडी HQ-HRD Deptt.
2.	060666	श्रीमति रेणु तलवार Smt. Renu Talwar	सीएचबीओ, चंडीगढ़ CHBO, Chandigarh	मुख्यालय-विधि विभाग HQ-Legal Deptt.

2. उनकी पदोन्नति उनके नए तैनाती स्थान पर अनुभाग अधिकारी पद पर 01 जनवरी 2021 अथवा पदभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होगी। अतः वे पदोन्नति पर अपनी पदभार ग्रहण रिपोर्ट तदनुसार अपने विभागीय प्रमुख के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को ईमेल estt@bis.gov.in द्वारा भेजें।

Their promotion will take effect from 01 January 2021 OR the date they assume the duties of the post of Section Officer at their new place of posting, whichever is later. Therefore, they should send their duty assumption report on promotion accordingly to the undersigned by email at estt@bis.gov.in, through their Departmental Head.

3. उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित जिन सहायक अनुभाग अधिकारियों को MACPS के अंतर्गत IInd/IIIrd वित्तीय उन्नयन के अनुदान के अंतर्गत लेवल-7 में वेतन निर्धारण का लाभ प्राप्त हो चुका है, उन्हें नियमानुसार, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

The Assistant Section Officers mentioned in the para 1 above who have got the benefit of pay fixation under the grant of IInd/IIIrd Financial Up-gradation under MACP Scheme in the Level-7, they shall not be entitled for pay fixation consequent upon promotion, as per rules.

4. उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित जिन सहायक अनुभाग अधिकारियों को MACPS के अंतर्गत IInd/IIIrd वित्तीय उन्नयन के अनुदान के अंतर्गत लेवल-7 में वेतन निर्धारण का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, उनका अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति पर प्रारम्भिक वेतन संलग्न प्रोफॉर्मा में उनके विकल्प की प्राप्ति पर तय किया जाएगा, जिसे वे अपने विभागीय प्रमुख द्वारा अधोहस्ताक्षरी को भेजें। **एक बार इस्तेमाल किया गया विकल्प अंतिम होगा।**

The Assistant Section Officers mentioned in the para 1 above who have not got the benefit of pay fixation under the grant of IInd/IIIrd Financial Up-gradation under MACP Scheme in the Level-7, their initial pay on promotion to the post of Section Officer will be fixed on receipt of their option in the enclosed Proforma, which may be sent to the undersigned through their Departmental Head. **Option once exercised will be final.**

5. वे नियमानुसार जॉइनिंग टाइम/ट्रान्सफर टीए के पात्र होंगे। उन्हें रीलीविंग पर पुस्तकें, आदि, यदि कोई हैं तो, जमा करवानी होंगी, जहां लागू हो।

They will be entitled to Joining Time/Transfer TA, as admissible under the rules. They are required to deposit publication, etc, if any, before relieving, wherever applicable.

Contd..2/-



6. उन्हें भारत में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है।
They will be required to serve anywhere in India.
7. सेवा की अन्य नियम व शर्तों के संबंध में वे समय-समय पर लागू ब्यूरो के नियमों व विनियमों द्वारा शासित होंगे।
As regards other terms and conditions of service they will be governed by the Rules and Regulations of the Bureau in force from time to time.

हस्ता/-

(संदीप मीना)

निदेशक (स्थापना)

उपरोक्त पैरा 1 के अंतर्गत दिये कर्मचारियों को उनके संबन्धित विभागीय प्रमुखों के माध्यम से

प्रतिलिपि:

- (i) संबन्धित विभागीय प्रमुख से यह अनुरोध किया जाता है कि संबन्धित कर्मचारी को कार्यभार मुक्त करें तथा संबन्धित कर्मचारी का छुट्टी रेकॉर्ड को उनके नए तैनाती स्थान पर भेजें, जहां लागू हो।
- (ii) संबन्धित उपमहानिदेशक (सतर्कता सचिवालय) (iii) निदेशक (लेखा) (iv) निदेशक (वित्त)
- (v) संबन्धित कर्मचारी की वैयक्तिक फ़ाइल (vi) संबन्धित कर्मचारी की छुट्टी फ़ाइल (संबन्धित विभाग)
- (vii) स्था-V (कम्प्यूटर अद्यतन तथा GIS हेतु) (viii) मुख्यालय-आईटीएस (BIS इंटरनेट पर परिचालन हेतु)


निदेशक (स्थापना)